19/01/2022 पत्रावली पेश हुई वादी रमेशचन्द्र स्वयं उपस्थित। वहस वादी एक तरफा सुनी गयी। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया, का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.21 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : वाद 6/2021 (2021/18)

अनवान

1- रमेशचन्द्र पिता चम्पालालजी मीणा नि० नलदा हाल मुकाम सैती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2- श्रीमती मीरा पत्नी रमेशचन्द्र मीणा निवासी नलदा हाल मुकाम सैती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—वादीगण

बनाम

गोपाल पिता लेजा मीणा निवासी नलदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा-188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री रमेशचन्द्र मीणा वादी सं. 1

निर्णय   दिनांक 19/01/2022

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण पति-पत्नी होकर मौजा नलदा हा.मु. सैती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के स्थायी निवासी है, वादी संख्या 1 मे मौजा चमनपुरा पटवार हल्का ... खाता संख्या 16 मे

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.21 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

मे दर्ज आराजी नम्बर 37 रकबा 0.52 हे. जिसकी सिंचाई चाह नम्बर ५५ से होती चली आ रही थी; खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जो वादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादी संख्या 2 ने मौजा चमनपुरा प.ह. उदपुरा की आ.नं. 83/37 रकबा 0.86 हे. जरिए पंजीकृत बेचनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया; जो वादी 2 के नाम दर्ज होकर चाह नम्बर ५५ से सिंचित होती चली आ रही है। परन्तु चाह नम्बर ५५ प्रतिवादी के अकेले के नाम पर दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादी, वादीगण की खरीदशुदा आराजीयात की सिंचाई चाह नम्बर ५५ से करने में बेजा रोक-टोक, मदाखलत पैदा कर रहा है, जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के सिंचाई उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से वाद कारण दिनांक 21/12/2020 को पैदा होकर निरन्तर जारी होना अंकित कर, निवेदन किया कि वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के खातेदारी में दर्ज आराजीयात की सिंचाई चाह नम्बर ५५ से होती चली आ रही है में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व रूकावट पैदा नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया [illegible] प्रतिवादी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने [illegible] को पर्याप्त अवसर दिया जाकर [illegible] 2021 को प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.21 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी रमेशचन्द के दावा पत्र की ताईद मे दस्तावेज प्रदर्शित करार जो नक्शा ट्रेस प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 5 है। बहस वादी एक तरफा सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर वादी रमेशचन्द की बहस पर चिन्तन-मनन किया। प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श 5 से वादीगण जेर बहस आराजी संख्या क्रमशः 37 रकबा 0.52 हे. एवं 83/37 रकबा 0.86 हे० के खातेदार होना प्रमाणित है। प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस के अवलोकन से वादीगण की उक्त आराजीयात की सिंचाई चाह आ.नं. 55 से होना स्पष्ट जाहिर होता है। प्रतिवादी ने बावजूद सूचना वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही किया है। वादीगण अपने दावा पत्र को प्रमाणित कराने मे सफल रहे है। अतः वादीगण का दावा पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चमनपुरा प.ह. उदपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 37 रकबा 0.52, 83/37 रकबा 0.86 हे. की सिंचाई चाह आराजी संख्या 55 से किए जाने मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी व रुकावट पैदा नही करें, न किसी अन्य से करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.21 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.रमेशचन्द्र पिता चंपालाल मीणा नि.नलदा हाल मुकाम सेंती तह.व जिला चित्तौडगढ़
2.श्रीमती मीरा पत्नी रमेशचन्द्र मीणा नि.नलदा हाल मुकाम सेंती तह.व जिला चित्तौडगढ़

—वादीगण

बनाम

1.गोपाल पिता तेजा मीणा नि.नलदा तहसील व जिला चित्तौडगढ़

—प्रतिवादी

प्र.स. 06 / 2021 (GCMS 2021/18)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वादी सं.1 श्री रमेशचन्द्र मीणा की, और प्रतिवादी की ओर से वकील – की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेद्याज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चमनपुरा प.ह.उदपुरा तहसील चित्तौडगढ स्थित वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 37 रकबा 0.52 हे. , 83 / 37 रकबा 0.86 हे. की सिंचाई चाह आराजी संख्या 44 से किए जाने मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी व रूकावट पैदा नही करें , न किसी अन्य से करावें।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 19.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.21 18:27:13 IST
Reason: SelfAttested